कार्यालय उपायुक्त -सह- जिला दण्डाधिकारी, पलामू
(मनरेगा कोषांग)

आवश्यक सूचना

सरकार के प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड रांची के संकल्प ज्ञापांक (N) 848 दिनांक 21.03.2017 से प्राप्त निदेश के आलोक में मनरेगा अन्तर्गत प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी के रिक्त पदों पर नियुक्ति की जानी है। नियुक्ति सरकार के प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या 4729 दिनांक 04.06.2007 में निहित नियुक्ति नियमावली के आलोक में संविदा के आधार पर की जायेगी।

उक्त नियुक्ति, कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के संकल्प ज्ञापांक 3198 दिनांक 18.04.2016 एवं पत्रांक 4550 दिनांक 31.05.2016 तथा में निहित निदेश के आलोक में विज्ञापित पद के श्रेणी के अनुसार, की जायेगी।

1. वर्तमान में प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी के रिक्त पद पर अभ्यर्थियों की संविदा के आधार पर नियुक्ति करने हेतु आवश्यक योग्यता/अर्हताधारी व्यक्तियों से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। आवेदन पत्र उपायुक्त, पलामू के पदनाम से देय होगा।

   आवेदन पत्र जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यालय, पलामू स्थित मनरेगा कोषांग में दिनांक 27.06.2017 के अपराह्न 05:00 बजे तक कार्यालय अवधि में केवल निबंधित डाक द्वारा ही प्राप्त किया जाएगा। उक्त तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

2. रिक्ति :–

क्र	पद का नाम	कोटिवार रिक्ति					कुल
		अनारक्षित	अनु0जाति	अनु0 जनजाति	अ0पि0वर्ग (BC-1)	पि0वर्ग (BC-2)	
1	प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी	15	7	2	3	2	29

नोट :– दिव्यांगों एवं महिलाओं के लिए नियमानुसार क्षैतिज आरक्षण दिया जायेगा। इससे संबंधित अभ्यर्थी को आवेदन पत्र पर इसका उल्लेख करना आवश्यक होगा।

3. परिलब्धि :–

प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी – 19500.00 (उन्नीस हजार पांच सौ रुपये)

इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा समय–समय पर प्राप्त निदेश के आलोक में अतिरिक्त राशि देय होगा।

4. **(I) प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी के पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यताएं :–**

(1) अनिवार्य योग्यता –

सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से किसी भी संकाय एवं विषय में स्नातक प्रतिष्ठा 55 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण। सामान्य स्नातक तथा वैसे स्नातक प्रतिष्ठा उत्तीर्ण, जिनका प्राप्तांक प्रतिशत 55 प्रतिशत से कम है परन्तु वे स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हो तो वे भी आवेदन समर्पित कर सकेंगे। सामान्य स्नातक तथा स्नातक प्रतिष्ठा में समतुल्यता स्थापित करने के लिए सामान्य स्नातक के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा दिया जायेगा तथा ऐसे घटे हुए प्राप्तांक प्रतिशत को स्नातक प्रतिष्ठा की कोटि में अंकित किया जायेगा।

(2) अतिरिक्त योग्यता –

(क) सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से एम0बी0ए0/पी0जी0डी0बी0ए0/पी0जी0डी0बी0एम0/पी0जी0डी0आर0डी0, बी0सी0ए0/बी0एस0सी0 कम्प्यूटर/बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स तथा एम0सी0ए0/एम0एस0सी0 (कम्प्यूटर विज्ञान) अतिरिक्त योग्यताएँ मानी जायेगी। एम0बी0ए0 एवं पी0जी0डी0बी0एम0/पी0जी0डी0बी0ए0/पी0जी0डी0आर0डी0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0बी0ए0/पी0जी0डी0बी0एम0/पी0जी0डी0आर0डी0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटाकर एम0बी0ए0 की कोटि में प्राप्तांक प्रतिशत जोड़ा जायेगा। बी0सी0ए0 तथा सामान्य बी0एस0सी0 कम्प्यूटर को बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स की श्रेणी में लाने के हेतु उनमें प्राप्तांक प्रतिशत से 5 क्रमशः घटा दिये जायेंगे तथा बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स कोटि में तदनुरूप प्राप्तांक प्रतिशत जोड़ा जायेगा।

(ख) एम0सी0ए0/एम0एस0सी0 कम्प्यूटर को समान योग्यताएं समझा जाएगा एवं तदनुरूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम0सी0ए0 की कोटि में जोडें जाएंगे। पी0जी0डी0सी0ए0 तथा एम0सी0ए0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जाएगा जबकि अभ्यर्थी ने बी0सी0ए0 या बी0एस0सी0 कम्प्यूटर साईंस या बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स के पश्चात् पी0जी0डी0सी0ए0 किया हो अन्यथा पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा कर उसके प्राप्तांक को एम0सी0ए0 की कोटि में रखा जायेगा।

5. **नोट :– सभी शैक्षणिक योग्यताएं जिन्हें सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की गई है, ही मान्य होगी।**

6. **आयु सीमा –**

(क) अनारक्षित – 35 वर्ष

(ख) पिछड़ा/अत्यंत पिछड़ा वर्ग – 37 वर्ष

(ग) महिला (अनारक्षित पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा) – 38 वर्ष

(घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला) – 40 वर्ष

7. **आरक्षण –** अनारक्षित कोटि/अनुसूचित जाति कोटि/अनुसूचित जनजाति कोटि/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (BC-1) कोटि/पिछड़ा वर्ग (BC-2) कोटि के अभ्यर्थियों के लिए पलामू जिला के लिए निर्धारित **आरक्षण रोस्टर बिन्दु** जो कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या 2020 दिनांक 09.04.2010 से निर्धारित है, के आलोक में निर्धारित किया गया है।

8. चयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन पलामू जिला के किसी भी प्रखण्ड में उपायुक्त, पलामू द्वारा किया जाएगा तथा उनका पदस्थापन संबंधी निर्णय बाध्यकारी होगा।

9. यदि कोई कार्यरत कर्मी नियुक्ति से स्वतः मुक्त होना चाहेगा, तो उसे अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से नियुक्ति पदाधिकारी को इसकी लिखित सूचना एक माह पूर्व देनी होगी या एक माह की परिलब्धि जमा करनी होगी।

10. किसी कार्यरत कर्मी की सेवा की आवश्यकता नहीं रहने की स्थिति में उसे एक माह की लिखित सूचना या एक माह की परिलब्धि देकर सेवा समाप्त कर दी जाएगी।

11. कार्य असंतोषजनक पाए जाने पर कार्यरत कर्मी की सेवा नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा किसी भी समय समाप्त कर दी जाएगी।

12. सभी पदों पर चयनित अभ्यर्थियो के लिए एक प्रशिक्षण प्राप्त करना तथा प्रशिक्षण के अन्त में यदि कोई परीक्षा आयोजित की जाती है तो उसमें उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। उत्तीर्णता का मापदण्ड राज्य सरकार या नियुक्ति/नियंत्री पदाधिकारी द्वारा पृथक आदेश से निर्धारित किया जा सकेगा। सफलता पूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात ही चयनित अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से नियुक्त समझा जाएगा एवं सक्षम पदाधिकारी द्वारा उनकी पदस्थापना की जाएगी।

13. सभी पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का कार्य/कर्तव्य/उत्तरदायित्व महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियत 2005, केन्द्र सरकार द्वारा इस पर जारी दिशा निदेशों/मार्ग दर्शिका, राज्य सरकार द्वारा लागू किये जाने वाले राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के प्रावधानों एवं राज्य सरकार के द्वारा समय–समय पर जारी किए जाने वाले दिशा निदेशों को लागू करने के उद्देश्य से आवश्यकताओं को चिन्हित कर निर्धारित किया जा सकेगा।

14. नियुक्ति पूर्णतया संविदा के आधार पर होगी, ऐसे नियुक्त व्यक्ति को नियमित रूप से नियुक्त करने का सरकार पर कोई दायित्व नहीं होगा।

15. प्रारम्भिक चरण में ऐसी नियुक्ति एक वर्ष के लिए की जायेगी तथा इस कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व नियुक्ति के लिए गठित नियुक्ति समिति के द्वारा उनके कार्यो की समीक्षा की जायेगी। कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर अगले एक वर्ष के लिए संविदा के आधार नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेंगा। तत्पश्चात् राज्य सरकार के द्वारा समय–समय पर लिए गये निर्णय के अनुरूप यदि उनके सेवाओं की आवश्यकता बनी रहेगी तो नियुक्ति समिति द्वारा ही कार्य की समीक्षा के पश्चात् उपयुक्त पाये जाने पर वार्षिक रूप से ऐसी नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगे।

16. स्थानीयता प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

17. प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी पद पर नियुक्ति हेतु पूर्व में निर्गत राज्यादेश के अनुरूप शैक्षणिक योग्यता एवं दक्षता परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर कुल प्राप्तांक योग्य के प्रतिशत के आधार पर नियुक्ति की जायेगी।

18. प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी के पद हेतु अभ्यर्थी के द्वारा किसी एक जिला में ही आवेदन दिया जा सकेगा तथा उसे आवेदन के साथ यह शपथ पत्र देना होगा कि झारखण्ड राज्य के किसी अन्य प्रमण्डल में इस पद विशेष हेतु आवेदन समर्पित नहीं किया है। यदि उनका यह शपथ पत्र कभी भी गलत पाया गया तो उनकी नियुक्ति स्वतः रद्द समझी जायेगी तथा उनके विरूद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जा सकेगी।

उपायुक्त, पलामू।

आवेदन पत्र का प्रपत्र

1. अभ्यर्थी का नाम :–
2. पिता/पति का नाम :–
3. स्थाई पता :–
4. वर्तमान पता :–
5. जन्म तिथि :–
6. दिनांक 27.06.2017 को उम्र :–
7. लिंग :– पुरूष/महिला
8. कोटि :– अ0जा0/अ0ज0जा0/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग/सामान्य
   (जो लागू नहीं हो काट दें)
9. अभ्यर्थी यदि दिव्यांग है तो उल्लेख करें :–
10. मोबाईल नम्बर/ई–मेल आई0डी0 :–
11. अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता :–

अभिप्रमाणित फोटोग्राफ

क्र0 सं0	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	विश्वविद्यालय/संस्थान का नाम	कुल प्राप्तांक/पूर्णांक	प्राप्तांक का प्रतिशत

12. अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता :–

क्र0 सं0	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	विश्वविद्यालय/संस्थान का नाम	कुल प्राप्तांक/पूर्णांक	प्राप्तांक का प्रतिशत

आवेदक का हस्ताक्षर